बिहार सरकार
समाहरणालय, कैमूर (भभुआ)
(जिला योजना कार्यालय)
अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत श्री निरंजन राम, माननीय सदस्य, विधान सभा मोहनियाँ एवं श्री आनंद भूषण पाण्डेय माननीय सदस्य, विधान सभा भभुआ के अनुशंसा पर, कैमूर जिला के मोहनियाँ एवं भभुआ विधान सभा के विभिन्न मध्य विद्यालय/उच्च विद्यालय/महाविद्यालयों के पुस्तकालयों के लिए व्यवसायिक छूट के साथ पुस्तकों का क्रय किया जाना है। इस हेतु नमूने की एक–एक प्रति के साथ प्रतिष्ठित प्रकाशकों/वितरकों के अधिकृत विक्रेताओं से मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। वित्तीय एवं तकनीकी निविदा अलग–अलग मुहरबंद लिफाफे में दिनांक–......04.11.2016 को 1:00 बजे अपराह्न तक जिला योजना कार्यालय, कैमूर (भभुआ) में रजिस्टर्ड डाक/कोरियर या स्वयं अथवा प्रतिनिधि के माध्यम से दाखिल कर सकते है। दिनांक 04.11.2016 को जिला क्रय समिति के समक्ष निविदा समाहरणालय, कैमूर के सभागार कक्ष में अपराह्न 2:00 बजे खोली जायेगी जिसमें निविदादाता या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि भाग ले सकते है।

शर्तें–

1. क्रय की जानेवाली पुस्तकों के टाईटिल पृष्ठ एवं मूल्य में किसी प्रकार का परिवर्तन/संशोधन मान्य नही होगा।
2. बाल साहित्य के अतिरिक्ति अन्य पुस्तके 60 पृष्ठ से कम रहने पर मान्य नही होगा।
3. क्षतिग्रस्त अथवा न्यूजप्रिंट पर छपी पुस्तकें स्वीकार नही की जाएगी।
4. बिहार की क्षेत्रीय भाषाओं एवं बिहार के प्रमुख रचनाकारों की पुस्तकों को प्राथमिकता दी जायेगी।
5. प्रत्येक पुस्तक अधिमानत आई0एस0बी0एन0 संख्या के साथ चयनित की जाएगी।
6. National Book trust, NCERT प्रकाशन विभाग या अन्य सरकारी/अर्द्धसरकारी प्रतिष्ठानों की पुस्तकों को प्राथमिकता दी जायेगी।
7. निविदादाता को विगत तीन वर्षो का आयकर रिर्टन एवं पैन नं0 की सत्यापित छायाप्रति जमा करना होगा।
8. पुस्तकों के क्रय हेतु छूट की निम्नांकित न्यूनतम दरें निर्धारित की जायेगी।

क	01 से 10 प्रतियों पर	10 प्रतिशत
ख	11 से 25 प्रतियों पर	15 प्रतिशत
ग	26 से 100 प्रतियों पर	20 प्रतिशत
घ	101 से 200 प्रतियों पर	25 प्रतिशत
ड़	201 से 500 प्रतियों पर	30 प्रतिशत
च	501 से उपर प्रतियों पर	35 प्रतिशत

9. निविदादाता उपर्युक्त निर्धारित छूट से यदि अधिक छूट देना चाहे तो स्पष्ट रूप से अंकित करना होगा कि कितनी छूट दे सकते है।
10. नमूने के रूप में प्रस्तुत पुस्तकों का रेल पार्सल स्वीकार नही किया जायेगा।
11. नमूने के रूप में प्रस्तुत पुस्तकों की सूची में निम्नांकित सूचनाए निश्चित रूप से अंकित की जाय।

क्र0	पुस्तक का नाम	लेखक का नाम एवं पूरा पता	प्रकाशक का नाम एवं पूरा पता	विषय	प्रकाशन वर्ष	पृष्ठ संख्या	ISBN संख्या	साजिल्द/अजिल्द एवं मूल्य मुद्रित

12. निविदादाता को दोनो विधान सभा के म0वि0/उच्च वि0/महाविद्यालय में पुस्तक आपूर्त्ति करना होगा। आंशिक आपूर्त्ति मान्य नही होगा।

13. दोनो विधान सभा के लिए एक ही निविदा डाला जाएगा। अलग–अलग विधानसभा के लिए अलग–अलग निविदा मान्य नही होगा।

14. नमूने की एक–एक प्रति (जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा विधान सभा के लिए अनुमोदित पुस्तक) कार्यालय अवधि में विशेष वाहक या रजिस्टर्ड डाक द्वारा क्रय समिति की बैठक के पूर्व दिनांक 28.10.2016 तक जमा की जायेगी। उक्त तिथि के बाद प्राप्त किसी पुस्तक पर विचार नही किया जायेगा। इसके लिए सरकार द्वारा किसी प्रकार का व्यय वहन नही किया जायेगा, साथ ही परिवहन में किसी प्रकार के नुकसान एवं क्षतिपूर्ति की जिम्मेवारी आपूर्तिकर्ता की होगी। सभी पुस्तकों का नमूना जमा करना अनिवार्य होगा।

1. निविदा के साथ 25000.00 (पचीस हजार) रू0 का बैंक ड्राफ्ट (जमानत की राशि) अनिवार्य रूप से जमा करना होगा जो जिला योजना पदाधिकारी, कैमूर के पद नाम से होगा।
2. निविदादाता को काली सूची में दर्ज नही होने का नोटरी द्वारा सत्यापित अद्यतन शपथ पत्र देना होगा।
3. निविदा के लिफाफे पर वित्तीय/तकनीकी निविदा अलग–अलग मोटे अक्षरो में लिखा होना चाहिए तथा मुहरबंद रहना चाहिए।
4. प्रत्येक पुस्तक पर मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना एवं अनुशंसा करने वाले विधान मंडल सदस्य का नाम एवं विधान सभा क्षेत्र का मुहर लगाना अनिवार्य होगा।
5. किसी भी समय बिना कारण बताये निविदा को रद्द करने का अधिकार जिला क्रय समिति के अध्यक्ष के पास सुरक्षित होगा। विवाद की स्थिति में अध्यक्ष, क्रय समिति का निर्णय अंतिम होगा।
6. पुस्तकों की आपूर्ति संबंधित विद्यालयों/महाविद्यालयों/पुस्तकालयों में पहुंचाकर कराना होगा, आपूर्तिकर्त्ता को अलग से परिवहन एवं मजदूरी देय नही होगी।
7. अनुमोदित आपूर्तिकर्त्ता को आदेश प्राप्ति के 30 (तीस) दिनों के अन्दर पुस्तकों की आपूर्ति करना अनिवार्य होगा अन्यथा विलम्ब की स्थिति में जमानत की राशि जब्त कर आवश्यक कारवाई की जाएगी।
8. स्वीकृत आपूर्तिकर्त्ता को विपत्रों पर नियमानुसार स्त्रोत पर निर्धारित कर कटौती के बाद ही विपत्र का भुगतान किया जायेगा।
9. पुस्तको की आपूर्ति पूर्ण राशि का दोनो विधान सभा में करना अनिवार्य होगा।
10. निविदादाता को इस आशय का प्रमाण–पत्र देना होगा कि उन्हें निविदा की सभी शर्तें मान्य है।

जिला शिक्षा पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ) की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा अनुमोदित पुस्तकों की सूची की छायाप्रति जिला योजना कार्यालय में कार्यालय अवधि में अपने निजी खर्च पर प्राप्त कर सकते है अथवा कैमूर जिला के वेबसाइट **www.kaimur.bih.nic.in** पर भी देख सकते है। इस निविदा के प्रकाशन पर जिला पदाधिकारी, कैमूर का अनुमोदन प्राप्त है।

जिला योजना पदाधिकारी
कैमूर (भभुआ)

D:\Dist : ...\YOJANA\MKVY\Tender\Tender notice September 24-09- 2016 niranjan Ram and anand bhushan pandey.docx